न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः– जय प्रकाश, आर.ए.एस

पत्रावली संख्याः– 06/2018/निगरानी

पवन कुमार शर्मा पुत्र मातादीन शर्मा जाति ब्राहमण निवासी प्रीतमपुरी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर

निगरानीकर्ता

बनाम

1 ग्राम पंचायत प्रीतमपुरी पंचायत समिति नीमकाथाना जिला सीकर जरिये सचिव
2 ग्राम पंचायत प्रीतमपुरी पंचायत समिति नीमकाथाना जिला सीकर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत प्रीतमपुरी

गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी विरूद्व ग्राम पंचायत प्रीतमपुरी पंचायत समिति नीमकाथाना के प्रस्ताव संख्या 1 आदेश दिनांक 20.01.2014

वकील प्रार्थी श्री श्रवण कुमार
वकील अप्रार्थी श्री सांवरमल

निर्णय दिनांकः–04.11.2019

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत प्रीतमपुरी द्वारा निगरानीकर्ता के विरूद्व दिनांक 27.08.2015 को प्रस्ताव संख्या 1 लिया गया तथा अपने आदेश द्वारा निगरानीकर्ता को बिना सुनवाई का मौका दिये बिना व साक्ष्य सबूत लिये बिना ही निगरानीकर्ता को अतिक्रमी घोषित किया गया। इस आदेश के विरूद्व अपील निगरानीकर्ता द्वारा पंचायत समिति में की गई, जो कि पंचायत समिति द्वारा दिनांक 19.07.2016 को ग्राम पंचायत का निर्णय निरस्त किया गया। उक्त पंचायत समिति के निर्णय की अपील जिला कलेक्टर सीकर को की गई, जो कि पत्रावली संख्या 09/2016 निगरानी द्वारा दिनांक 23.03.2018 को किया जाकर आदेश दिया गया जो निम्न प्रकार है "प्रकरण ग्राम पंचायत प्रितमपुरी पं0स0 नीमकाथाना को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अप्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुऐ अतिक्रमित स्थान का सीमाज्ञान किया जाकर नियमानुसार कार्यवाही करे।" तत्पश्चात् दिनांक 20.04.2018 को ग्राम पंचायत प्रीतमपुरी द्वारा प्रस्ताव संख्या 1 लिया गया जो निम्न प्रकार है– अप्रार्थीगण/अतिक्रमी पवन कुमार पुत्र मातादीन शर्मा की अतिक्रमण पत्रावली कोरम के समक्ष निर्णय हेतु पेश हुई। सचिव ग्राम पंचायत ने कोरम को अब तक की गई कार्यवाही का विवरण पढकर सुनाया गया। कोरम द्वारा बहुमत से निर्णय किया गया। ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 05.04.2018 के प्र.सं. 5 के निर्णय अनुसार अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी करने का निर्णय कर नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण ने नोटिस लेने से इन्कार किया। तत्पश्चात चपरासी ग्राम पंचायत द्वारा नोटिस को सार्वजनिक बालाजी मेदान के चोक में बनी दुकान पर चस्पा किया गया। चस्पा के चश्मदीद गवाहो के हस्ताक्षर करवाये गया। अप्रार्थीगण द्वारा बालाजी मैदान जहां प्रतिवर्ष मेले का आयोजन पुराने समय से होता रहा है इस पर पवन कुमार पुत्र श्री मातादीन शर्मा निवासी ग्राम प्रीतमपुरी द्वारा अनीतीपूर्ण कार्य स्टाल रखकर, पक्की दुकान बनाकर एवं छप्पर डालकर अतिक्रमण किया है जिसकी नाप

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उत्तर दक्षिण 23 पूर्व पश्चिम 33' है इस प्रकार 84.33 वर्गगज भूमि में अतिक्रमण किया है। इस अतिक्रमण के संबंध में अप्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर बार–बार दिये जाने पर अपने साक्ष्य सबूत भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने में आना कानी की है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा इस अतिक्रमण को जरिये पुलिस इमदाद लेकर अविलम्ब हटवाने का बहुमत से फैसला लिया गया। प्रकरण के सम्बंध में अपर जिला कलेक्टर के अपने आदेश दिनांक 23.03.2018 में स्पष्ट निर्देश दिया था कि निगरानीकर्ता की सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करे, परन्तु निगरानीकर्ता को कोई ना तो नोटिस दिया गया, ना ही सूचना दी गई कि किस तारीख को उपस्थित होकर साक्ष्य पेश करने व सबूत देने को हाजिर हो सकता है। इस प्रकार निगरानीकर्ता को प्रकरण की सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही करने से प्रार्थी के प्राकृतिक अधिकार का हनन हुआ है। ग्राम पंचायत द्वारा निर्णय में अंकित किया है कि अप्रार्थीगण को नोटिस सुनवाई हेतु दिया गया, जो लेने से इन्कार किया गया। जबकि प्रार्थी को कोई नोटिस नही दिया गया और निर्णय में विवरणित चपरासी के कहने मात्र से कोई निर्णय पारित नही किया जा सकता। पूर्व में अपर जिला कलेक्टर के आदेश के मुताबिक "अतिक्रमित स्थान का सीमा ज्ञान किया जावे" का भी स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है। मौके पर जाकर प्रार्थी को उक्त विवादित स्थान का सीमाज्ञान ना तो करवाया गया, ना ही अपने निर्णय में ऐसा कोई कथन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने द्वारा पूर्व में पारित आदेश जो कि अपीलीय न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया था हुबहू अंकित किया गया है। किसी प्रकार की कोई जांच नही की गई बिना जांच, साक्ष्य, सबूत के निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में मनमाने रूप से अंकित किया गया है कि निर्णय बहुमत से लिया गया है। जबकि ग्राम पंचायत के निर्वाचित माननीय सदस्यों ने इसका विरोध बहुमत के साथ किया है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत प्रीतमपुरी के आदेश व प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 20.04.2018 को निरस्त किया जाकर ग्राम पंचायत प्रीतमपुरी को प्रतिबंधित फरमाया जावे कि वह निगरानीकर्ता के विरूद्ध राजनैतिक द्वेषता से बिना साक्ष्य सबूतों को देखे कोई अवैध कार्यवाहीं नहीं करें।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रकरण के सम्बंध में न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में दिनांक 23.03.2018 को निर्णय पारित किया जाकर प्रकरण ग्राम पंचायत प्रीतमपुरी पंचायत समिति नीमकाथाना को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया गया कि अप्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए अतिक्रमित स्थान का सीमाज्ञान किया जाकर नियमानुसार कार्यवाही करें। न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में पारित निर्णय के क्रम में सरपंच ग्राम पंचायत प्रीतमपुरी द्वारा एक सूचना पत्र दिनांक 26.03.2018 को जारी किया जाकर विवादित स्थल का सीमाज्ञान करने हेतु मौका कमेटी का गठन कर मौका रिपोर्ट हेतु एक उप सरपंच व दो वार्ड पंच को नियुक्त किया जाकर मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 27.03.2018 को प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 27.03.2018 में अंकित किया गया है कि आबादी भूमि के खसरा नम्बर 2040 में अवस्थित ग्राम पंचातय द्वारा जारी पट्टा एवं अतिक्रमण स्थल का मौका निरीक्षण किया गया। जिसके अनुसार पट्टा स्थल का नाप, अन्य भूमि एवं मैला मैदान का नजरी नक्शा एवं अतिक्रमित भूमि का नाप एवं अतिक्रमण का प्रकार की रिपोर्ट निम्नानुसार है– मौके पर ग्राम पंचायत द्वारा 14.10.62 को जारी पट्टा की नाप की गई। मौके पर जारी पट्टा उत्तर दक्षिण 70 फीट एवं उत्तरी भाग पूर्व पश्चिम 27 फीट है। मौके पर भूमि खाली है। उत्तर दक्षिण भूमि की नाप की गई, जो 70 फीट है। जिसके पूर्व एवं पश्चिम में मकान एवं चबूतरा बना हुआ है। इस प्रकार 48 फीट उत्तर दक्षिण पट्टा शुदा एवं 22 फीट शेष अतिक्रमण में नहीं है, क्योंकि इस भूमि के पूर्व पश्चिम में मकान एवं चबूतरा बना हुआ है। अतः 22 फीट भूमि उत्तर दक्षिण अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं है। चूंकि इस 22 फीट भूमि की नाप के अतिरिक्त अप्रार्थी पवन कुमार शर्मा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पुत्र मातादीन शर्मा ने पक्की दुकान एवं छप्पर लगाकर मैला चौक में अतिक्रमण किया है, जो अवैध है। जिसकी नाव पूर्व पश्चिम 33 फीट एवं उत्तर दक्षिण 23 फीट है। जिसको हटाया जाना उचित है। उक्त सीमा से हटकर मैला चौक की भूमि में अवैध दुकान एवं छप्पर एवं स्टाल (लकड़ी) की बनाकर अवैध अतिक्रमण किया है जिससे मैला चौक की सार्वजनिक भूमि को हानी पहुंची है। अतः दुकान स्टाल एवं छप्पर को हटाया जाना उचित है। मौका निरीक्षण रिपोर्ट में दर्शाये गये नजरी नक्शा के मुताबिक पट्टा शुदा भूमि 48 फीट है। जिसके पश्चिम में शंकरलाल का मकान एवं एवं पूर्व में अप्रार्थी स्वयं का मकान होना अंकित किया हुआ है। पट्टा शुदा भूखण्ड के उत्तर में 22 फीट खाली भूमि है एवं उक्त खाली भूमि के उत्तर में मैला चौक की भूमि पर 33x23 फीट भूमि पर अप्रार्थी पवन कुमार शर्मा द्वारा दुकान एवं छप्पर बनाकर अतिक्रमण किया जाना अंकित किया हुआ है। मौका निरीक्षण रिपोर्ट में अतिक्रमी का अतिक्रमण होने की रिपोर्ट प्राप्त होने पर सरपंच ग्राम पंचायत प्रीतमपुरी द्वारा अप्रार्थी पवन कुमार शर्मा को आबादी भूमि में अतिक्रमण के सम्बंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 27.03.2018 को नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस अदम तामिल प्राप्त हुआ। उसके पश्चात् दिनांक 05.04.2018 को नोटिस जारी कर सात दिवस में अपना पक्ष/जवाब प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। दिनांक 05.04.2018 को जारी नोटिस पर सार्वजनिक स्थल पर चस्पा की रिपोर्ट अंकित की हुई है। सरपंच ग्राम पंचायत प्रीतमपुरी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्व जारी नोटिस पर सार्वजनिक स्थल पर चस्पानगी की रिपोर्ट पश्चात् अप्रार्थी द्वारा उक्त नोटिस के सम्बंध में किसी प्रकार का जवाब/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी को प्रकरण के सम्बंध में अपना पक्ष प्रस्तुतीकरण एवं सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध पंचगण की मौका निरीक्षण रिपोर्ट के अवलोकन करने पर प्रार्थी पवन कुमार का पट्टा शुदा भूखण्ड जो कि उत्तर–दक्षिण 48 फीट है। उक्त पट्टा शुदा भूखण्ड के सामने 22 फीट खाली भूमि है एवं उक्त खाली भूमि के उत्तर में मैला चौक की भूमि पर 33x23 फीट भूमि पर प्रार्थी पवन कुमार द्वारा दुकान व छप्पर बनाकर अतिक्रमण किया जाना अंकित किया हुआ है। प्रार्थी का अतिक्रमित स्थल पर अतिक्रमण नहीं होने के सम्बंध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। सरपंच ग्राम पंचायत प्रीतमपुरी द्वारा दिनांक 27.03.2018 व 05.04.2018 को प्रार्थी पवन कुमार को अतिक्रमित स्थल से अतिक्रमण हटाने के सम्बंध में नोटिस जारी करने के उपरांत भी प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का जवाब/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर ग्राम पंचायत प्रीतमपुरी पंचायत समिति नीमकाथाना द्वारा दिनांक 20.04.2018 को कोरम के समक्ष विधिवत निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की दखलंदाजी की आवश्यकता न्यायोचित प्रतीत नहीं होती हैं। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी आधारहीन व सारहीन होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 04.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

4/11/19

(जय प्रकाश)
अति० जिला कलक्टर, सीकर

Web Copy - Not Official

सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Prakash Narayan
Date: 2019.11.04 18:41:53 IST
Reason: SelfAttested
Location: